



राजस्थान सरकार  
शिक्षा विभाग

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:- <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:- [hrd.cce@gmail.com](mailto:hrd.cce@gmail.com) फोन नं. 0141-2706736(0)

क्रमांक:एफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21-00638/पार्ट-1/ दिनांक:-

प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
पुष्कर/बालोतरा/पाटन/  
भरतपुर/कन्या लालसोट।

विषय:- सत्र 2024-25 में खोले गये नवीन विषय के अध्यापन कार्य हेतु विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 21-06-2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेशानुसार आपके महाविद्यालय में खोले गये नवीन संकायो/विषयों में सोसायटी के तहत नियमित शिक्षक उपलब्ध होने तक विभाग द्वारा विद्या संबल योजना के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फैकल्टी को लगाकर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(प्रो. केशव शर्मा)  
संयुक्त निदेशक (HRD)  
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
05. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
06. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

Digitally signed by Keshav Sharma  
Designation: Joint Director  
Date: 2024.09.04 11:26:59 IST  
Reason: Approved

